



कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 003
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 003

सं. प्रशा0/ईजी-22/प्रतिनियुक्ति विधि/2024-25/4271-72 दिनांक: 10-03-2025

सेवा में

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी विभागाध्यक्ष।

विषय: कानूनी मामलों से निपटने के लिए विधि सहायक के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के सम्बन्ध में |

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय में विधि सहायक के रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए DoPT द्वारा समय समय पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों एवं मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 60 -Staff (App)-I/14-2023 दिनांक 27.01.2025 में निहित निर्देशों को संदर्भित करते हुए, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:-

Post	Feeder cadre	Criteria	Eligibility
Legal Assistant	AAO/Supervisor	AAO/Supervisor who can manage to handle Legal cases	Work experience of 03 years in legal section. Law degree is preferable qualification
	Auditor/Sr. Auditor/Asstt. Supervisor	Auditor/Sr. Auditor/Asstt. Supervisor suitable to handle Legal Cases.	Law degree is mandatory. Work experience of 03 years in the legal section is preferable qualification.

इस पद का कार्य विवरण इस प्रकार रहेगा :

- केस ब्रीफ और पैरा-वार टिप्पणियाँ तैयार करना और मसौदा वाद तैयार करने में वकील के साथ संपर्क करना।
- संबंधित सरकारी वकील से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध विभाग के खिलाफ मामलों का विवरण प्राप्त करना और ऐसी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर सरकारी वकील के साथ कोर्ट/कैट में उपस्थित होना।
- प्रत्येक मामले की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करना, सुनवाई के परिणाम को रिकॉर्ड करना और LIMBS पोर्टल में स्थिति को अपडेट करना।
- अदालती मामलों, पैनल में शामिल वकीलों को दिए गए मामलों, परामर्शदाताओं को दिए गए शुल्क और उनके प्रदर्शन का रजिस्टर बनाए रखना और नियमित रूप से मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- निर्णय सुनाए जाने के तुरंत बाद प्रमाणित प्रति प्राप्त करना/निर्णय की प्रति प्राप्त करना तथा मामले का बचाव करने के लिए सरकारी वकील की राय लिखित रूप में प्राप्त करना, जिसमें सीडब्ल्यूपी/एसएलपी या समीक्षा याचिका दाखिल करने की व्यवहार्यता या अन्यथा के बारे में बताया गया हो तथा उसे मुख्यालय कार्यालय को

भेजना तथा पावती देखना ।

6. चर्चाओं तथा दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में वकीलों की आवश्यकता को पूरा करना।

7. कानूनी शुल्क बिलों की जांच करना तथा भुगतान समय पर किए जाने की निगरानी करना ।

8. पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की आवधिक समीक्षा के समयबद्ध संचालन में वरिष्ठ लेखा अधिकारी/समूह अधिकारियों की सहायता करना।

नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदन की अंतिम तिथि को अधिकारी/कर्मचारी की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी तथा रिक्तियों की उपलब्धता तथा उम्मीदवार की उपयुक्तता के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. प्रतिनियुक्ति भत्ता भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) में निर्धारित शर्तों के अनुसार देय होगा।

कृपया अनुरोध है कि उपरोक्त मानदंड को पूरा करने वाले इच्छुक अधिकारियों के आवेदन पत्र अपनी संस्तुतियों तथा बायोडाटा (सेवा विवरण), पिछले पांच वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर) की सत्यापित प्रतियों तथा सतर्कता मंजूरी प्रमाण-पत्र के साथ 10 अप्रैल 2025 तक इस कार्यालय को भेजें।

यह प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

उप महालेखाकार (प्रशासन)

उपरोक्त की प्रति कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ईडीपी सेल को भेजी जा रही है।

-हस्ता-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)

गार्टन कैसल बिल्डिंग, शिमला- 171 003 दूरभाष: 0177-2614935, फैक्स: 0177-2814934

Gorton Castle Building, Shimla-171 003 Phone: 0177-2614935, Fax: 0177-2814934

E-mail: agaeHimachalpradesh@cag.gov.in